FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)

...लत .... मुकाम

बलवीर सिंह बनाम सरकार

मुकदमा प्रार्थनापत्र नं. 231/19 सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुक्म
2 7/19	आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act. का कार्यालय रिपोर्ट हो कर पेश हुआ। अवलोकन किया। दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार राजगढ़ से जाँच रिपोर्ट ली जाकर मिसल दिनांक 21.8.19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)	
21 8/19	वकुलाय फरीकैन उपस्थित श्रीमान एस.डी.ओ. साहब कार्यालय से बाहर हैं मिसल दिनांक 26.9.19 को पेश हों।	
26 9/19	वकुलाय फरीकैन उपस्थित श्रीमान एस.डी.ओ. साहब स्थानान्तरण पर पधार चुके हैं। मिसल दिनांक 6.11.19 को पेश हो।	
6 11/19	वकील पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी महोदय, चुनाव कार्य में व्यस्त है मिसल दिनांक 10/12/19 को पेश हो।	
10	वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार राजगढ़ से जाँच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। बाद इन्तजार मिसल दिनांक 16-1-20 को पेश हो।	
16 1/20	वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार राजगढ़ से जाँच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। पुनः लिखा जावे। मिसल वास्ते जाँच रिपोर्ट दिनांक 25.2.20 को पेश हो।	
25 2/20	वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार राजगढ़ से जाँच रिपोर्ट प्राप्त। शामिल मिसल रहे। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर अहलमद हुक्म में
	पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड में अपना नाम अशुद्ध दर्ज होना कथन करते हुए शुद्ध करने का अनुतोष चाहा है। प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार से प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार विवादित कृषि भूमि की जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम नामान्तरकरण के जरिए दर्ज हुआ है जो राजस्व कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा प्राप्त कुर्सीनामा व उसकी की गई जाँच के आधार पर दर्ज किया जाता है व सक्षम अधिकारी द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक की जाँच के अवलोकन व अपने न्यायिक विवेक का उपयोग करते हुए नामान्तरकरण स्वीकृत का आदेश देता है। नामान्तरकरण दर्ज होने व स्वीकृत होने की विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए तस्दीक किया जाता है जिस कारण प्रार्थी का नाम वर्तमान जमाबन्दी में विहित प्रक्रिया के अधीन दर्ज हुआ है जिसमें धारा 136 L.R.Act. के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं। प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र धारा 136 L.R.Act. के तहत पोषणीय नहीं होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। प्रार्थी चाहे गये अनुतोष के लिए अन्य कानूनी विकल्पों के प्रयोग हेतु स्वतंत्र है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र संधारणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। मिसल फैसलशुमार हो कर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)	